दिनांक 29.04.2023
प्रेस विज्ञप्ति 30/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुये माफियाओं के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है। जनपदीय पुलिस के साथ–साथ अभियोजन विभाग के अधिकारियों के सयुक्त प्रयास से गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर प्रस्तुत कर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करायी जा रही है। माफियाओं के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निरन्तर की जा रही है।

अपराधिक माफिया आई0एस0–191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी व उसके सह अभियुक्तों के विरूद्ध विचाराधीन अभियोगों में अभियुक्त मुख्तार अंसारी एवं उसके भाई सहअभियुक्त अफजाल अंसारी, तथा गैंग के सदस्य हरिहर सिंह आदि के विरूद्ध लम्बित लगभग 60 अभियोगों में से लगभग 20 अभियोगों का प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में विचारण जारी है, जिसके क्रम में जनपद गाजीपुर पुलिस के प्रभावी पैरवी के क्रम में उक्त विचाराधीन अभियोगों में से **मु0अ0सं0 1051/2007 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना मुहम्मदाबाद**–एसटी नं0 90/12 में मा0 न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट/एएसजे–चतुर्थ जनपद गाजीपुर द्वारा आज **दिनांक 29.04.2023 को** पारित निर्णय में **कुख्यात अपराधी माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस अभियोग में माफिया मुख्तार अंसारी के विरूद्ध तत्कालीन विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद गाजीपुर में दिनांक 29.11.2005 को हत्या तथा दिनांक 22.01.1997 को व्यापारी नन्द किशोर रूगंटा उर्फ नन्दू बाबू वाराणसी में अपहरण एवं हत्या के सम्बन्ध में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी।

इसी क्रम में आई0एस0 191 गैंग लीडर एवं गैंग के सदस्य एवं **अपराधिक माफिया अफजाल अंसारी** पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी नि0 यूसुफपुर थाना–मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को एसटी नं0 980/2012 **मु0अ0सं0 1052/2007 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद** जनपद गाजीपुर में **04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

प्रभावी पैरवी के ही क्रम में आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के **गैंग के सदस्य हरिहर सिंह** पुत्र रामा सिंह निवासी बरहट थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर को भी आज **दिनांक 29.04.2023** को मा0 न्यायालय एएसजे–चतुर्थ जनपद

गाजीपुर द्वारा विचारण के पश्चात् स्व0 रमापति सिंह की हत्या के अपराध में **मु0अ0सं0 175/84 एसटी नं0 215/1984 धारा 302 भादवि थाना सैदपुर** जनपद गाजीपुर में **आजीवन कारावास के दण्ड** से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

वर्ष 2021 में अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध 02 अभियोगों में एवं वर्ष 2022 में 07 अभियोगों में उ0प्र0 शासन एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशानुसार आरोप विरचित किये जाने की कार्यवाही की गयी थी। इससे पूर्व अभियुक्त माफिया मुख्तार अंसारी को निम्न अभियोगों में दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैः–

1– **मु0अ0सं0 192/96 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली** जनपद गाजीपुर में मा0 न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट गाजीपुर द्वारा **दिनांक 15.12.2022 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

2– **मु0अ0सं0 131/2003 धारा 353/504/506 भादवि थाना आलमबाग** जनपद लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **दिनांक 21.09.2022 को धारा 353 भादवि** के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं **धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रूपये 02 हजार के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। इसी अभियोग में **धारा 506 के अन्तर्गत उक्त मुख्तार अंसारी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित** किया गया।

3– **मु0अ0सं0 428/1999 थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में अभियुक्त माफिया मुख्तार अंसारी को धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट** में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **दिनांक 23.09.2022 को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया था।

इस प्रकार अब तक अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 04 अभियोगों में दोषसिद्ध किया गया है एवं सजायाबी करार दिया गया है। यह भी ज्ञातव्य है कि मु0अ0सं0 131/2003 थाना आलमबाग जनपद लखनऊ तथा मु0अ0सं0 428/1999 उपरोक्त में उ0प्र0 राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किये जाने के निर्णयों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की गयी थी, जिनमें माफिया मुख्तार असंारी के विरूद्ध अपील के उपरान्त दण्डादेश पारित किये गये थे।

अपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी व उसके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत **लगभग 291 करोड़ 19 लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही व 284 करोड़ 77 लाख से अधिक की सम्पत्ति के ध्वस्तीकरण/अवैध कब्जे से अवमुक्त** कराने की कार्यवाही की गयी है।

दिनांक 29.04.2023
प्रेस विज्ञप्ति 31/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **धोखाधड़ी के 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 लाख रूपये नगद**
- **20 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 22 चेक बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 29.04.2023 को थाना सूरजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–63 से धोखाधड़ी के 02 अभियुक्तों 1–पंकज उर्फ प्रदीप 2–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 लाख रूपये नगद, 20 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 22 चेक बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि, 01 कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज उर्फ प्रदीप निवासी आकाशनगर, गोविन्दपुरम गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना चौला जनपद बुलन्दशहर।

2–दीपक निवासी ग्राम धनबास थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–12 लाख रूपये नगद।

2–20 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 22 चेक बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि।

3–01 कार।

जनपद चन्दौली/थाना बबुरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 28.04.2023 को थाना बबुरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बौरी चौराहा से 02 अभियुक्तों 1–राजू 2–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बबुरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी ग्राम सातोअंवती थाना नुवांव जनपद भभुआ कैमूर, बिहार।

2–सुनील निवासी ग्राम महुअर थाना रामगढ कैमूर भभुआ, बिहार।

बरामदगी

1–चोरी की 13 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **38 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **38 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 28.04.2023 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त अहसान उर्फ घोडा को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 38 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 38 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अहसान उर्फ घोडा निवासी मोहल्ला एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–38 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–38 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **32 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 29.04.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केन नदी के पास खण्डहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त शिवभवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 32

निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवभवन निवासी देवरथा थाना बबेरू जनपद बांदा।

बरामदगी

1–32 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 28/29.04.2023 को थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साहनपुर से 02 अभियुक्तों 1–युनूस 2–महिपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त युनूस के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना स्याना पर आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—युनूस निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

2—महिपाल निवासी ग्राम चांदपुर पुठी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 670 ग्राम अवैध मार्फिन**
- **03 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद**

दिनॉकः 28.04.2023 को थाना लंका, नार्कोटिक्स टास्क फोर्स वाराणसी व बाराबंकी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हेरिटेज अस्पताल के पास बाउण्ड्री के किनारे से 02 अभियुक्त 1—सुरेन्द्र कुमार 2—दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 670 ग्राम अवैध मार्फिन,

03 मोबाइल फोन, 1360/—रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कटरा मोहना, थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

2–दीपक कुमार निवासी ग्राम सेगापुर थाना रामगढ जनपद कैमूर, बिहार, वर्तमान पता–ग्राम रमना थाना लंका जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 670 ग्राम अवैध मार्फिन।

2–03 मोबाइल फोन, 1360/–रूपये नगद आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना शक्तिनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 31 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 28.04.2023 को थाना शक्तिनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तेलगवां बार्डर से 02 अभियुक्तों 1–मुकेश भैसा 2–हेमन्त किशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 31 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश भैसा निवासी झारोगांव थाना लेफरीपड़ा जनपद सुन्दरगढ़, उड़ीसा।

2–हेमन्त किशन निवासी मोहिल जोन थाना सदर सुन्दरपुर जनपद सुन्दरगढ़, उड़ीसा।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 31 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन, नगद रूपय।

3–घटना में प्रयुक्त कार।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 15 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त लक्ष्य तंवर एवं उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 15 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी

एसटीएफः नगर निकाय चुनाव में अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 29—04—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित बुलेरो मैक्स ट्रक प्लस पिकप व हुण्डई सेन्ट्रो कार बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— सूरज वर्मा पुत्र पप्पू वर्मा, नि0 ग्राम बेदुआ, थाना कोतवाली, जनपद बलिया। हालपता सेक्टर 7 रामपाल चौक द्वारका, नई दिल्ली।

2— राहुल पुत्र विजय कुमार, नि0 शांति बिहार पटेल नगर निकट शिव डेरी निकट लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत हरियाणा।

3— सुरेन्द्र पुत्र धर्मवीर, निवासी जामरी, झाझर हरियाणा।

बरामदगीः—

1. अवैध अंग्रेजी शराब KING GOLD 180 ML 140 पेटी।
2. अवैध अंग्रेजी शराब JUBLEE 180 ML 10 पेटी।
3. 01 अदद BOLERO MAXI TRUCK PLUS PICKUP
4. 01 अदद Hyundai Sentro Xing-
5. 03 अदद मोबाइल ।

6. 01 अदद ड्राईविंग लाईसेन्स।

7. 02 अदद एटीएम कार्ड।

8. रुपए 300 नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

निकट टोल प्लाजा थाना–मांट मथुरा, दिनांक 29.04.2023 समय 8:20 बजे।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश व बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 29–04–2023 को एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा आपराधिक अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा पंजाब प्रान्त के चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु यमुना एक्सप्रेस–वे के रास्ते मथुरा ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुँचे। वहॉ पर मांट टोल प्लाजा मथुरा के पास नोएडा से आगरा की ओर आने वाली गाडियों की चेंकिंग करने लगे कि सेन्ट्रो कार नं0 डीएल 4सी एजे 3339 व बोलेरो मैक्स पिकप डीएल 01 एलडब्लू 6692 को रोककर चेक किया गया, तो सेन्ट्रो कार के अन्दर 10 पेटी व बोलेरो मैक्स पिकप में 140 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब छिपायी गयी थी, जिस पर उक्त गाडियों पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर 03 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह अवैध अंग्रेजी शराब हमलोग चंडीगढ़, पंजाब से दिल्ली के रास्ते यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए लेकर आ रहे थे जो मथुरा में सप्लाई करनी थी। यह अवैध अंग्रेजी शराब हम लोगों को राशिद द्वारा दी गई थी जो मथुरा में नरेंद्र कुमार उर्फ नन्हा जनपद मथुरा को देनी थी। नरेन्द्र द्वारा नगर निकाय

चुनाव में प्रयोग में लाई जाती। चंडीगढ़ से हम अवैध सस्ती शराब खरीदते है जिसे हम लोग लाकर मथुरा, व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जपनदों में सप्लाई कर देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मांट जनपद मथुरा में मु0अ0सं0 74/2023 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है

———————